भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-15

उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और वहनीयता

†15. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में ट्यूशन फीस में हो रही वृद्धि के संबंध में हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) ग्रामीण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण संकाय और अवसंरचना की समान सुलभता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या एनईपी-2020 के अंतर्गत ऑनलाइन और हाइब्रिड डिग्री प्रोग्रामों की लागत को विनियमित करने के लिए कोई दिशानिर्देश हैं;
(घ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे छात्रों की संख्या और प्रतिशत क्या है जिन्हें उच्च शिक्षा में केन्द्रीय छात्रवृत्तियां सुलभ हैं;
(ड.) शीर्ष सरकारी विश्वविद्यालयों के स्नातकों की नियोजनीयता संबंधी परिणामों की निगरानी करने की प्रक्रिया क्या है;
(च) क्या सरकार की निजी महाविद्यालयों के लिए प्रत्यायन मानकों की समीक्षा करने की योजना है; और
(छ) प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (छ): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

*****

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और वहनीयता के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग द्वारा पूछे गए दिनांक 21.07.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 15 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): एनईपी 2020 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि सरकारी और निजी स्कूलों का मूल्यांकन और प्रत्यायन समान मानदंडों, मानकों और प्रक्रियाओं के आधार पर की जानी है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन सार्वजनिक प्रकटीकरण और पारदर्शिता पर ज़ोर दिया जाएगा। एनईपी 2020 में सभी शैक्षिक संस्थानों के लिए एक 'गैर-लाभकारी' संस्था के रूप में लेखा परीक्षा और प्रकटीकरण के समान मानकों का भी प्रस्ताव है। यदि कोई अधिशेष राशि है, तो उसे शैक्षिक क्षेत्र में पुनर्निवेशित किया जाएगा। इसी प्रकार, उच्चतर शिक्षा में, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों - सरकारी और निजी - के साथ समान दिशानिर्देशों का पालन करते हुए समान व्यवहार किया जाएगा। जाँच और संतुलन वाली कई क्रियाविधि शिक्षा के व्यावसायीकरण का मुकाबला करेंगी और उसे रोकेंगी।

विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हैं जो अपने संबंधित अधिनियमों/संविधियों आदि द्वारा शासित होते हैं। विश्वविद्यालयों के प्रकार के आधार पर, शुल्क संरचना के मानदंड प्रशासित किए जाते हैं। आईआईटी/आईआईआईटी/एनआईटी/आईआईईएसटी/आईआईएम आदि के संबंध में, शुल्क संरचना संबंधित अधिनियमों/संविधियों के प्रावधान के अनुसार विनियमित होती है। एआईसीटीई ने निर्देश जारी किए हैं कि संस्थान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कैपिटेशन शुल्क की मांग नहीं करेंगे या नहीं लेंगे या किसी पाठ्यक्रम में किसी भी सीट पर प्रवेश के लिए विचार करने के रूप में कोई डोनेशन नहीं मांगेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान) विनियम, 2023 अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी नाम या रूप में डोनेशन या कैपिटेशन शुल्क सख्त वर्जित है। गैर-मुनाफाखोरी या गैर-व्यावसायिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शुल्क पारदर्शी तरीके से तय किया जाएगा। निजी विश्वविद्यालयों में शुल्क संरचना या तो संबंधित राज्य सरकार/राज्य की निजी विश्वविद्यालय विनियामक प्राधिकार अथवा संबंधित निजी विश्वविद्यालय द्वारा तय किया जाएगा।

यूजीसी ने यूजीसी (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना और सामान्य रूप से समुदाय की शैक्षिक भलाई को बढ़ावा देना है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा शुल्क संरचना इस तरह से तैयार की जाएगी कि यह समाज के वंचित वर्गों के विद्यार्थियों सहित सभी हितधारकों के लिए वहन करने योग्य हो।

समान पहुँच सुनिश्चित करने और संकाय की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमएमटीटीपी) पर पुनः विचार किया गया है और इसे 144 मालवीय मिशन केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिनमें आईआईटी, आईआईएम, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय और अन्य जैसे प्रमुख संस्थान शामिल हैं। ये केंद्र विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से संकाय की क्षमता और कौशल का संवर्धन कर रहे हैं। अब तक 3,900 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनसे 2.5 लाख से अधिक संकाय सदस्य लाभान्वित हुए हैं।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य विशिष्ट राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को वित्तपोषित करना है ताकि निर्धारित मानदंडों और मानकों के प्रति उनकी अनुरूपता सुनिश्चित कर उनकी गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) का तीसरा चरण जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए) के रूप में शुरू किया गया था, जिसका परिव्यय 12926.10 करोड़ रुपये है, जिसमें वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए आरयूएसए के पिछले चरण की प्रतिबद्ध देनदारियाँ भी शामिल हैं, ताकि शैक्षिक रूप से वंचित/अल्पसेवित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस योजना के तहत, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न घटकों के तहत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है जैसे विश्वविद्यालयों को मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचा अनुदान (आईजीयू), कॉलेजों को बुनियादी ढांचा अनुदान (आईजीसी), विश्वविद्यालयों को मजबूत करने के लिए अनुदान (जीएसयू), कॉलेजों को मजबूत करने के लिए अनुदान (जीएससी), नए मॉडल डिग्री कॉलेज (एनएमडीसी) आदि। पीएम-यूएसएचए के तहत, विभिन्न घटकों के तहत कुल 8178.71 करोड़ रुपये की राशि के साथ विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी 615 इकाइयों को मंजूरी दी गई है।

भारत के उच्चतर शिक्षा के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत बनाने के एक बड़े प्रयास के तहत, वर्ष 2014 से देश भर में 42 नए केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) की कुल संख्या 51,534 से बढ़कर 60,380 हो गई, जो 17% की वृद्धि दर्शाती है। विश्वविद्यालयों की संख्या 760 से बढ़कर 1,213, महाविद्यालयों की संख्या 38,498 से बढ़कर 46,624 और स्वतंत्र संस्थानों की संख्या 12,276 से बढ़कर 12,543 हो गई।

विद्यार्थी नामांकन 30.5% बढ़कर 3.42 करोड़ से 4.46 करोड़ हो गया। महिला नामांकन 38.4% बढ़कर 1.57 करोड़ से 2.18 करोड़ हो गया। सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 23.7 से बढ़कर 29.5 हो गया, जिसमें महिला जीईआर 22.9 से बढ़कर 30.2 हो गया, जो लगातार छह वर्षों से पुरुष जीईआर से अधिक है। एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के नामांकन में क्रमशः 50.1% (46.06 लाख से 69.13 लाख), 75% (16.41 लाख से 28.72 लाख) और 54.6% (1.13 करोड़ से 1.74 करोड़) की वृद्धि हुई है। इन समूहों में महिला नामांकन में और भी अधिक वृद्धि देखी गई: जो एससी (61.2%), एसटी (96.3%), और ओबीसी (62.9%) रही है। अल्पसंख्यक विद्यार्थी का नामांकन 21.8 लाख से बढ़कर 32.9 लाख (50.7%) हो गया, जबकि अल्पसंख्यक महिलाओं का नामांकन 10.66 लाख से बढ़कर 16.84 लाख (58%) हो गया है। पूर्वोत्तर में, कुल नामांकन 36.3% बढ़कर 9.36 लाख से 12.76 लाख हो गया जिसमें महिलाओं का नामांकन 6.59 लाख रहा, जबकि पुरुषों का नामांकन 6.17 लाख रहा।

ये आंकड़े भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य में विस्तार, समानता और बढ़े हुए पहुंच के एक दशक को रेखांकित करते हैं।

(घ): केंद्र सरकार देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी श्रेणियों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। शैक्षिक वर्ष 2023-24 में, एक करोड़ से अधिक छात्रों को मैट्रिकोत्तर और उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गईं हैं, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और विमुक्त जनजाति (डीएनटी) के छात्रों के लिए लगभग **39.3** लाख छात्रवृत्तियाँ; अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए लगभग **47** लाख छात्रवृत्तियाँ और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए लगभग **20.5** लाख की छात्रवृत्तियाँ शामिल हैं।

(ङ): स्नातकों के रोजगारपरक परिणामों की निगरानी कई संकेतकों जैसे प्लेसमेंट रिकॉर्ड, पूर्व छात्र नेटवर्क, संबंधित कौशल और गुणों के विकास आदि के माध्यम से की जा सकती है। उच्च शिक्षा योग्यताएँ पारदर्शी, बहु-विषयक, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से एकीकृत, परिणाम-आधारित और रोज़गार-उन्मुख हों, यह सुनिश्चित करने के लिए एनईपी 2020 के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता ढाँचा (एनएचईक्यूएफ़) बनाया गया है। एनएचईक्यूएफ़ में सीखने के कुछ विवरण हैं, जिनका कठिनाई स्तर प्रत्येक उच्चतर योग्यता के साथ बढ़ता जाएगा। योग्यता स्तरों का वर्णन करने वाले विवरणों में से "रोज़गारपरक और नौकरी के लिए तैयार कौशल, उद्यमिता कौशल और क्षमताएँ/गुण और मानसिकता" एक है।

(च): एनईपी, 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप, एनएएसी की वर्तमान 8-बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली से बाइनरी प्रत्यायन के माध्यम से प्रत्यायन को आसान बनाने, वर्तमान प्रत्यायन पद्धति से परिपक्वता-आधारित ग्रेडेड स्तरों (एमबीजीएल) में बदलाव करने, उच्च शिक्षा संस्थानों को राष्ट्रीय उत्कृष्टता के संस्थानों के रूप में 'स्तर 1' से 'स्तर 4' तक और फिर 'स्तर-5' अर्थात बहु-विषयक अनुसंधान और शिक्षा के लिए वैश्विक उत्कृष्टता के संस्थानों के रूप में व्यवस्थित रूप से अपनी गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम बनाने की परिकल्पना की गई है, जिसमें उनकी भागीदारी के साथ-साथ प्रत्यायन के स्तर को बढ़ाने के लिए योजनाओं को सलाह देने और प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि उन्हें प्रतिष्ठा, महत्व और वैश्विक प्रशंसा मिल सके।

(छ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, एक 'हल्के लेकिन सुदृढ़' नियामक ढाँचे की परिकल्पना करती है जो लेखापरीक्षा और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन दक्षता सुनिश्चित करेगा, साथ ही स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और नए विचारों को प्रोत्साहित करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, विनियमन, प्रत्यायन, वित्त पोषण और शैक्षणिक मानक निर्धारण के विशिष्ट कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र कार्यक्षेत्रों के साथ एक व्यापक निकाय के रूप में भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (एचईसीआई) की स्थापना की परिकल्पना करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उपरोक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय एक एचईसीआई विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है।

*****